रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2009/अग्रहायण 25, 1931
No. 713] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2009/AGRAHAYANA 25, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 899(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के उप-नियम (1) में,—

(क) खंड (i) में "25,000 रुपए (पच्चीस हजार रुपए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में "50,000 रुपए (पचास हजार रुपए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 11 में,—

(क) उपनियम (1) में, "1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "4,00,000 रुपए (चार लाख रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) के खंड (i) से खंड (v) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) पहले वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए 200 रुपए (दो सौ रुपए);

(ii) दूसरे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए 400 रुपए (चार सौ रुपए);

(iii) तीसरे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए 2000 रुपए (दो हजार रुपए);

(iv) चौथे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए 2800 रुपए (दो हजार आठ सौ रुपए);

(v) नवीकरण के प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए 4000 रुपए (चार हजार रुपए)।";

85

30

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"परंतु किसी भी वर्ष में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अधिक अदा की गई राशि पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टा, अनुज्ञप्ति धारक द्वारा उसी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में नियम 4 के अंतर्गत पश्चात्वर्ती वर्षों में देय फीस के लिए समायोजित की जाएगी ।"

4. उक्त नियमों के नियम 13 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) खंड (क) में, "2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर 8,00,000 रुपए (आठ लाख रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, "30,000 रुपए (तीस हजार रुपए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर 1,20,000 रुपए (एक लाख बीस हजार रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) में,—

(i) "25.00 रुपए (पच्चीस रुपए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर 100 रुपए (सौ रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) "50.00 रुपए (पचास रुपए)" अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर 200 रुपए (दो सौ रुपए)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक :—

"परन्तु पट्टेदार पेट्रोलियम खनन पट्टे को प्रदान किए जाने के लिए अनिवार्य भाटक तीस दिन के भीतर और प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रिम रूप में वार्षिक अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा ।"

[फा. सं. 22013/1/2007/ओएनजी III]

डि. एन. नरसिम्हा राजु, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, संख्या सा.का.नि. 1288 तारीख 24 नवम्बर, 1959 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 259(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2009

G.S.R. (E) 899(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 (hereinafter to be referred as the said rules), in rule 6, in sub-rule (1),—

(a) in clause (i), for the letters, figure, brackets and words "Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand)" the letters, figure, brackets and words "Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh)" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the letters, figure, brackets and words "Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand)" the letters, figure, brackets and words "Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh)" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 11,—

(a) In sub-rule (1), for the letters, figure, brackets and words "Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh)" the letters, figure, brackets and words "Rs. 4,00,000/- (Rupees Four Lakh)" shall be substituted.

(b) in sub-rule (2), for clauses (i) to (v), the following clauses shall be substituted respectively, namely :

"(i) Rs. 200/- (Rupees two hundred) for the first year license;

86

(ii) Rs. 400/- (Rupees four hundred) for the second year license;

(iii) Rs. 2000/- (Rupees two thousand) for the third year license;

(iv) Rs. 2800/- (Rupees two thousand and eight hundred) for the fourth year license;

(v) Rs. 4000/- (Rupees four thousand) for the each subsequent year of renewal.";

(c) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that any excess amount paid by the licensee in any year as license fee shall be adjusted against the fee for Petroleum Exploration License or Petroleum Mining Lease granted under Rule 4 due for subsequent years of the same area or any other area held by the licensee".

4. In the said rules, in rule 13, —

(a) in sub-rule (1), —

(i) in clause (a), for the letters, figure, brackets and words "Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh)", the letters, figure, brackets and words "Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight Lakh)" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the letters, figure, brackets and words "Rs.30,000/- (Rupees thirty thousand)", the letters, figure, brackets and words "Rs. 1,20,000/- (Rupees One Lakh Twenty Thousand)" shall be substituted.

(b) in sub-rule (2), in clause (a), —

(i) for the letters, figures, brackets and words, "Rs. 25.00 (Rupees twenty five)", the letters, figures, brackets and words, "Rs.100.00 (Rupees One Hundred)" shall be substituted;

(ii) for the letters, figures, brackets and words "Rs. 50.00 (Rupees fifty), the letters, figures, brackets and words Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred)" shall be substituted.

(c) in sub-rule (2) after clause (a) the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the lessee shall pay within thirty days dead rent of the grant of Petroleum Mining Lease and yearly dead rent in advance for every subsequent year".

[F. No. 22013/1/2007/ONG-III]

D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 1288 dated the 24th November, 1959 and subsequently amended *vide* G.S.R. 295(E), dated 1st April, 2003.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.